



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022021-225164
CG-DL-E-15022021-225164

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 615]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 15, 2021/माघ 26, 1942

No. 615]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 15, 2021/MAGHA 26, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2021

का.आ. 669(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ 479 (अ) तारीख 28.01.2020 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 31.01.2020 में प्रकाशित की गयी थी द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में जगदीशपुर-हल्दिया एवं बोकारो-धामरा पाइपलाइन (जे एच बी डी पी एल) एवं स्पर पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

**जगदीशपुर – हल्दिया एवं बोकारो – धामरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट
सी जी एस जमशेदपुर स्पर पाइपलाइन
अनुसूची**

राज्य : पश्चिम बंगाल

जिला	तहसील	गांव	थाना नं	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल		
					हेक्टेअर-आर-वर्ग मीटर		
1	2	3	4	5	6		
पुरुलिया	रघुनाथपुर -2	दनदुआ	23	687	00	01	88
				562	00	01	14
				561	00	01	32
				560	00	01	22
				1323	00	25	49
पुरुलिया	पारा	महुदा	84	508	00	08	17
				509	00	04	28
पुरुलिया	पारा	दुबरा	79	2690	00	02	83
				1799	00	06	47
				1793	00	02	83
				1794	00	03	23
				1803	00	03	23
				2608	00	01	80
				2607	00	00	25
पुरुलिया	पारा	मपुइदी	92	224	00	18	80
पुरुलिया	पारा	झन्यरा	120	438	00	06	66
पुरुलिया	पारा	भैसाकुली	126	385	00	00	20
				2989	00	01	56
				2988	00	00	17
पुरुलिया	पुरुलिया - II	छररा	131	7508	00	01	95
पुरुलिया	पुरुलिया - II	झुपरा	146	1161	00	01	10
पुरुलिया	पुरुलिया - II	हतौरा	64	2378	00	02	79
				2220	00	18	17
				2218	00	11	81
पुरुलिया	पुरुलिया - II	केतिका	5	2882	00	07	28

जिला	तहसील	गांव	थाना नं	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल		
					हेक्टेअर—आर—वर्ग मीटर		
1	2	3	4	5	6		
पुरुलिया	पुरुलिया - II	डाबर	57	1155	00	04	65
पुरुलिया	पुरुलिया - II	चन्द्रादी	204	102	00	11	57
				101	00	02	05
पुरुलिया	पुरुलिया - II	अमचूरिया	205	1141	00	37	18
				679	00	01	14
पुरुलिया	अरशा	कोरग	94	953	00	07	05
				1925	00	00	43
				2686	00	02	22
पुरुलिया	अरशा	पुआरा	97	2786	00	06	48
पुरुलिया	अरशा	धनरा	88	3027	00	03	20
				3028	00	00	70
				2618	00	00	10
				2906	00	03	84
				2547	00	03	33
				2581	00	00	19
				2596	00	07	72
पुरुलिया	बलरामपुर	बेरदा	10	1186	00	00	88
				1187	00	02	02
पुरुलिया	बलरामपुर	बराउरमा	11	2858	00	01	07
				2903	00	01	48
पुरुलिया	बलरामपुर	मालदीह	33	392	00	00	80
				421	00	00	50
				451	00	02	42
				866	00	02	83
पुरुलिया	बलरामपुर	पराशया	30	1555	00	31	56
पुरुलिया	बलरामपुर	दरबेरिया	32	317	00	00	86
				823	00	01	07
				824	00	00	84
पुरुलिया	बलरामपुर	डुमरी	29	20	00	14	16
				18	00	01	61
				23	00	12	94
पुरुलिया	बलरामपुर	छातागडो	60	1886	00	00	80
				1884	00	01	80
				1888	00	03	00

जिला	तहसील	गांव	थाना नं	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल		
					हेक्टेअर—आर—वर्ग मीटर		
1	2	3	4	5	6		
				405	00	02	89
				74	00	00	10
पुरुलिया	बलरामपुर	जुराडीह	70	76	00	02	65
				75	00	03	60
				78	00	00	10
पुरुलिया	बलरामपुर	अमारु	72	339	00	00	37
				116	00	01	48
				117	00	00	80
				118	00	00	45
				147	00	02	07
				148	00	01	71
				145	00	00	24
पुरुलिया	बलरामपुर	रुछाप	85	951	00	00	26
पुरुलिया	बलरामपुर	श्यामनगर उर्फ जोजोडीह	84	1733	00	04	17
				1863	00	01	20
				2004	00	04	65
				2005	00	01	29
				1187	00	10	18
				1189	00	01	92
पुरुलिया	बलरामपुर	मालती	78	3338	00	01	02
				2645	00	02	80
				2646	00	04	00
				2653	00	14	88

[फा. सं. एल-14014/1/2018-जी पी -II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 2021

S.O. 669(E).—Whereas by notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 479 (E) dated 28.01.2020 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India dated 31.01.2020, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Jagdishpur- Haldia & Bokaro- Dhamra Pipeline (JHBDPL) & Spur Pipeline in the state of West Bengal by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed off by the Competent Authority;

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

JAGDISHPUR - HALDIA AND BOKARO - DHAMRA PIPELINE PROJECT

CGS JAMSHEDPUR SPUR PIPELINE

SCHEDULE

State : West Bengal

District	Tehsil	Village	Thana No.	Survey No.	Area		
					Hect. Are Sq. mtr.		
1	2	3	4	5	6		
Purulia	Raghunathpur - II	Dandua	23	687	00	01	88
				562	00	01	14
				561	00	01	32
				560	00	01	22
				1323	00	25	49
Purulia	Para	Mahuda	84	508	00	08	17
				509	00	04	28
Purulia	Para	Dubra	79	2690	00	02	83
				1799	00	06	47
				1793	00	02	83
				1794	00	03	23
				1803	00	03	23
				2608	00	01	80
				2607	00	00	25
Purulia	Para	Mapuidi	92	224	00	18	80
Purulia	Para	Jhanpra	120	438	00	06	66
Purulia	Para	Baishyakuli	126	385	00	00	20
				2989	00	01	56
				2988	00	00	17
Purulia	Purulia - II	Chharra	131	7508	00	01	95
Purulia	Purulia - II	Jhupra	146	1161	00	01	10
Purulia	Purulia - II	Hatuara	64	2378	00	02	79
				2220	00	18	17

District	Tehsil	Village	Thana No.	Survey No.	Area		
					Hect. Are Sq. mtr.		
1	2	3	4	5	6		
				2218	00	11	81
Purulia	Purulia - II	Ketika	5	2882	00	07	28
Purulia	Purulia - II	Dabar	57	1155	00	04	65
Purulia	Purulia - II	Chandradi	204	102	00	11	57
				101	00	02	05
Purulia	Purulia - II	Amchuria	205	1141	00	37	18
				679	00	01	14
Purulia	Arsha	Korang	94	953	00	07	05
				1925	00	00	43
				2686	00	02	22
Purulia	Arsha	Puyara	97	2786	00	06	48
Purulia	Arsha	Dhanara	88	3027	00	03	20
				3028	00	00	70
				2618	00	00	10
				2906	00	03	84
				2547	00	03	33
				2581	00	00	19
				2596	00	07	72
Purulia	Balrampur	Berada	10	1186	00	00	88
				1187	00	02	02
Purulia	Balrampur	Baraurmma	11	2858	00	01	07
				2903	00	01	48
Purulia	Balrampur	Maldih	33	392	00	00	80
				421	00	00	50
				451	00	02	42
				866	00	02	83
Purulia	Balrampur	Parashya	30	1555	00	31	56
Purulia	Balrampur	Darberia	32	317	00	00	86
				823	00	01	07
				824	00	00	84
Purulia	Balrampur	Dumri	29	20	00	14	16
				18	00	01	61
				23	00	12	94
Purulia	Balrampur	Chhatagado	60	1886	00	00	80
				1884	00	01	80
				1888	00	03	00
				405	00	02	89
				74	00	00	10
Purulia	Balrampur	Juradih	70	76	00	02	65
				75	00	03	60

District	Tehsil	Village	Thana No.	Survey No.	Area		
					Hect. Are Sq. mtr.		
1	2	3	4	5	6		
				78	00	00	10
Purulia	Balrampur	Amaru	72	339	00	00	37
				116	00	01	48
				117	00	00	80
				118	00	00	45
				147	00	02	07
				148	00	01	71
				145	00	00	24
Purulia	Balrampur	Ruchap	85	951	00	00	26
Purulia	Balrampur	Shyamnagar Allias Jojodih	84	1733	00	04	17
				1863	00	01	20
				2004	00	04	65
				2005	00	01	29
				1187	00	10	18
				1189	00	01	92
Purulia	Balrampur	Malti	78	3338	00	01	02
				2645	00	02	80
				2646	00	04	00
				2653	00	14	88

[F. No. - L-14014/1/2018-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.